(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी–2629–एक / 16 विरुद्ध आदेश दिनांक 25.07.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 120 / 2015–16 / अपील।

---

1. शेर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
2. मुखविंदर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
   निवासीगण ग्राम घसारई तहसील व
   जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....आवेदकगण
3. सुखविंदर सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
   निवासी ग्राम घसारई तहसील व
   जिला शिवपुरी (म.प्र.) ..... फॉर्मल आवेदक

विरुद्ध

1. बलविंदर गौर पत्नि श्री बलदेव सिंह सिक्ख
2. गुरमुख सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह सिक्ख
3. विंदर कौर पुत्री बलदेव सिंह सिक्ख
   निवासी ग्राम सेसई सड़क परगना कोलारस
   जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सी.एम. गुप्ता

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़

आदेश

(आज दिनांक 03/1/18 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 120 / 2015–16 / अपील में पारित आदेश दिनांक 25.07.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व

संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम घसारई स्थित भूमि सर्वे क. 31/1 रकवा 3.30 हे. में उनका हिस्सा 1/4 का बंटवारा किए जाने की मांग की। तहसीलदार शिवपुरी द्वारा आदेश दिनांक 19.12.14 पारित कर पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द अनुसार बंटवारा स्वीकार किया। जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28.12.15 के द्वारा निरस्त किया गया। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 28.12.15 द्वारा अस्वीकार किया गया है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण में बंटवारा प्रकिया का पालन नहीं किया गया । आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में सिविल न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के संबंध में आपत्ति की गई थी, किंतु उसके उपरांत भी प्रकरण स्थगित नहीं किया गया एवं कार्यवाही जारी रखी गई जो अवैधानिक है । जबकि विधि का यह सिद्धांत है कि यदि हक संबंधी कोई प्रश्न उठाया जाता है तो तहसीलदार अपने समक्ष की कार्यवाहियों को 3 माह तक रोक देगा । यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के नियम 4 एवं 6 का पालन नहीं किया गया और ना ही फर्द बंटवारा मौके पर तैयार किया गया । फर्द बंटवारे की कोई सूचना आवेदकों को नहीं दी गई ।

यह तर्क भी दिया गया कि विवादित भूमि 1/4 के हिस्सा धारी अनावेदकों द्वारा गिर्राज दुबे भूमि विकय कर दिये जाने से अनावेदकों को प्रकरण चलाने का अधिकार नहीं रह गया था यह भी आपत्ति की थी, परंतु इसको अनदेखा किया जाकर आदेश पारित किए गए हैं ।

यह तर्क भी दिया गया कि सर्वे नंबर 31/1/1 में आवेदकों की माताजी का

चबूतरा है इस पर भी विचार नहीं किया गया । अंत में कहा गया कि अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि सिविल न्यायालय से कोई स्थगन नहीं था अतः बंटवारा कार्यवाही को रोके जाने का कोई प्रश्न नहीं था । सहखातेदार बंटवारे के लिए आवेदन दे सकता है इसी के तहत आवेदन दिया । विचारण न्यायालय ने विधिवत प्रकिया अपनाकर बंटवारा आदेश पारित किया जिसकी पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण बंटवारे का है । प्रकरण में यह निर्विवादित है कि बंटवारे की कार्यवाही हेतु आवेदन सहखातेदार द्वारा दिया गया है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन दिया गया था ऐसा कोई प्रमाण आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में पेश नहीं किया गया इस कारण तहसील न्यायालय की कार्यवाही को अवैधानिक मान्य नहीं किया जा सकता । अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत है कि व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी हैं और जब भी व्यवहार न्यायालय से स्वत्व विवाद का निराकरण होगा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल किया जायेगा । प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण उनमें हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर